कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के पत्रांक 1177, दिनांक 04.08.2016 के द्वारा श्री मनोज कुमार रजक, निम्न वर्गीय लिपिक के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र–'क' के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 649/स्था0, दिनांक 28.09.2016 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था।

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा श्री मनोज कुमार रजक, निम्न वर्गीय लिपिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संचालन के पश्चात् जांच प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध समर्पित किया गया है। आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य तथा आरोपी कर्मी के द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों के परिशीलन से आरोपी के विरूद्ध कार्यो में लापरवाही एवं स्वेच्छा चारिता का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी के विरूद्ध गठित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के परिशीलन से आरोपी श्री रजक को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित नियमावली 2007 के नियम–14 के कंडिका–(V) में वर्णित प्रावधान के आलोक में **मैं जय सिंह (भा0प्र0से0) जिलाधिकारी, खगड़िया श्री मनोज कुमार रजक, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय गोगरी प्रतिनियुक्त भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, गोगरी को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करता हूँ।** इस आदेश का प्रभाव सेवा की निरंतरता की स्थिति में वेतन वृद्धि वर्ष 2017 से लगातार तीन वर्षो तक प्रभावी होगा। श्री मनोज कुमार रजक, निम्न वर्गीय लिपिक को निलंवन से मुक्त करते हुए पदस्थापन मानसी अंचल .... में किया जाता है एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी उपरोक्त दण्ड की प्रविष्टि उनके सेवापुस्त में करेंगे।

Received for sdd 13/04/17

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 210 /स्था0, दिनांक 13/04/2017

प्रतिलिपि :–श्री मनोज कुमार रजक, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, गोगरी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिलाधिकारी कार्यालय के सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/सभी अंचल अधिकारी, खगड़िया जिला एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया।